

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 मई 2021-वैशाख 17, शक 1943

विषय-सूची

भाग 1.- (1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- (1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकी सूचनाएं.

भाग 4.- (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरः स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2021

क्र. एफ-1-(ए)30-2018-ब-2-दो.- राज्य शासन श्री रजत सकलेचा भापुसे, सेनानी 26वीं वाहिनी, विसबल, गुना को दिनांक 18 अप्रैल से 2 मई 2021 तक, पंद्रह दिवस पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री रजत सकलेचा, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री परवेज अनवर खान, रापुसे, उप सेनानी, 26वीं

वाहिनी, विसबल, गुना द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटाने पर श्री रजत सकलेचा, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सेनानी, 26वीं वाहिनी, विसबल, गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री रजत सकलेचा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री रजत सकलेचा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

6725

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजत सकलेचा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2021

क्र. एफ-1-(ए)107-2008-ब-2-दो.- राज्य शासन श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, पुलिस, महानिरीक्षक होशंगाबाद जोन, होशंगाबाद को दिनांक 22 अप्रैल से 7 मई 2021 तक 16 दिवस अर्जित अवकाश व 21 अप्रैल एवं 08-09 मई 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री जगत सिंह राजपूत, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, होशंगाबाद रेन्ज, होशंगाबाद द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक होशंगाबाद जोन, होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2021

क्र. एफ-5-7-94-दस-4.- राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पुरषोत्तम लाल धीमान (भावसे-1992) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ, भोपाल द्वारा अपना नाम "पुरषोत्तम लाल धीमान" में से "लाल" शब्द विलोपित करने का अनुरोध किया है. इस हेतु उनके द्वारा निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की है :-

1. निर्धारित प्रपत्र में डीड
2. स्थानीय समाचार पत्र में नाम परिवर्तन की सूचना.
3. मध्यप्रदेश राजपत्र में नाम परिवर्तन की सूचना प्रकाशन हेतु चालान द्वारा जमा राशि की प्रति.
4. नाम बदलने संबंधी विलेख पूर्ण कराकर दो राजपत्रित अधिकारियों के हस्ताक्षर मय मुद्रा सहित की प्रति.

(2) उक्त अनुरोध पर विचारोपरान्त राज्य शासन श्री पुरषोत्तम लाल धीमान का नाम निम्नानुसार परिवर्तन की अनुमति प्रदान करता है :-

पूर्व नाम - "पुरषोत्तम लाल धीमान"

परिवर्तित नाम - "पुरषोत्तम धीमान"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजया पुनवटकर, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2021

क्र. एफ-25-21-2013-दस-3.- मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के आदेश क्र. 7840/X-11/82 भोपाल दिनांक 20-09-1982 एवं अधिसूचना क्रमांक-110-10-1-6-1-83 भोपाल दिनांक 06-01-1983 में आशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा उप वनमंडल शाजापुर क्षेत्रीय के अधिकार क्षेत्र को यथावत् रखते हुये उप वनमंडल के नाम तथा मुख्यालय में प्रशासनिक दृष्टि से निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है :-

अ.क्र.	वृत्त का नाम	जिले का नाम	वन मंडल का नाम (मुख्यालय)	उप वन मंडल का नाम (मुख्यालय)	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	सम्मिलित परिक्षेत्रों का नाम (मुख्यालय)	उप वनमंडलों की सीमाओं का विवरण	वनमंडल की सीमाओं का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	उज्जैन	शाजापुर एवं आगरा मालवा	शाजापुर (मुख्यालय-शाजापुर)	आगरा मालवा (मुख्यालय आगरा मालवा)	77.77	सुसनेर (मुख्यालय-सुसनेर) आगरा (मुख्यालय-आगरा) शाजापुर (मुख्यालय-शाजापुर) शुजालपुर (मुख्यालय-शुजालपुर)	उत्तर-राजस्थान राज्य एवं जिला राजगढ़ की सीमा पूर्व-जिला राजगढ़ एवं जिला सीहोर की सीमा दक्षिण-जिला सीहोर एवं जिला देवास की सीमा पश्चिम-जिला उज्जैन एवं जिला रतलाम की सीमा तथा राजस्थान राज्य की सीमा	उत्तर-राजस्थान राज्य एवं जिला राजगढ़ की सीमा पूर्व-जिला राजगढ़ एवं जिला सीहोर की सीमा दक्षिण-जिला सीहोर एवं जिला देवास की सीमा पश्चिम-जिला उज्जैन एवं जिला रतलाम की सीमा तथा राजस्थान राज्य की सीमा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पदमाप्रिया बालकृष्णन, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2021

एफ 25-21-2013-दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 25-21-2013-दस-3, दिनांक 22 अप्रैल 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पदमाप्रिया बालकृष्णन, सचिव.

Bhopal, the 22nd April 2021

F-25-21-2013-X-3.- ..In exercise of the powers vested with Government of Madhya Pradesh in view of Administrative reasons, without changing the jurisdiction of the Shajapur Territorial Forest Sub-division, the name and headquarter of Shajapur Territorial Forest Sub-division is changed by partially amending the Order no. 7840/X-11/82 Dated 20-09-1982 and Notification no. 110-10-1-6-1-83 Bhopal dated 06-01-1983 of Madhya Pradesh Forest Department as under:-

S. no	Name of Circle	Name of District	Name of Forest Division (Head quarter)	Name of Forest Sub- Division (Head quarter)	Area (sq.k.m.)	Name of Ranges included (Headquarter)	Description of the boundaries of Forest Sub-Division	Description of the boundaries of Forest Division
1	2	3	4	5	6	7	18	9
01	Ujjain	Shajapur and Agar Malwa	Shajapur (Head quarter- Shajapur)	Agar-Malwa (Head quarter- Agar-Malwa)	77.77 /	Susner (Head quarter- Susner) Agar (Head quarter- Agar) Shajapur (Head quarter- Shajapur) Shujapur (Head quarter- Shujapur)	North-Boundary of Rajasthan State and Rajgarh District East-Boundary of Rajgarh and Sehcre District South- Boundary of Sehore and Dewas District West- Boundary of Rajasthan State and Ujjain and Ratlam District	North-Boundary of Rajasthan State and Rajgarh District East-Boundary of Rajgarh and Sehore District South- Boundary of Sehore and Dewas District West- Boundary of Rajasthan State and Ujjain and Ratlam District

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PDMAPRIYA BALAKRISHNAN, Secy.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2021

क्र. एफ-3-48-2021-अद्वारह-5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार, द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्र.-2919-वि.यो.-496-नग्रानि-2020, भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2020 द्वारा प्रकाशित अशोकनगर विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार अशोकनगर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :-

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश.
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय गुना मध्यप्रदेश.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् अशोकनगर मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी	सारणी कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	अशोकनगर विकास योजना 2021	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक कृषि	6 6	6-सा-15 6-सा-15	4 7	सूचना प्रौद्योगिकी *एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग** सूचना प्रौद्योगिकी* गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या-

- i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाये.
- ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम-17(क) में वर्णित अनुसार.

टीप :- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

विकास योजना में किया गया उपांतण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

क्र. एफ-3-49-2021-अदठारह-5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्र.-3114-वि.यो.-496-नग्रानि-2020, भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2020 द्वारा प्रकाशित झाबुआ विकास योजना 2011 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार झाबुआ निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2011 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :-

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश.
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय झाबुआ मध्यप्रदेश.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् झाबुआ मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी	सारणी कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोगी (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	झाबुआ विकास योजना 2011	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक कृषि	6 6	6-सा-15 6-सा-15	4 7	सूचना प्रौद्योगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग** सूचना प्रौद्योगिकी* गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या-

- i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाएँ.

- ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
- iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम-17(क) में वर्णित अनुसार.

टीप :- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

विकास योजना में किया गया उपांतण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्राक्धान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में प्रवर्तित होगा.

क्र. एफ-3-50-2021-अट्टारह-5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार, द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्र.-3698-वि.यो.-496-नग्रानि-2020, भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2020 द्वारा प्रकाशित आलोट विकास योजना 2031 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार आलोट निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :-

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश.
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रतलाम मध्यप्रदेश.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् आलोट, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी	सारणी कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	आलोट विकास योजना 2021	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	6	6-सा-13	4	सूचना प्रौद्योगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि	6	6-सा-13	7	सूचना प्रौद्योगिकी* गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

- i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
- ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
- iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम-17(क) में वर्णित अनुसार.

टीप :- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

विकास योजना में किया गया उपांतण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में प्रवर्तित होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुमाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2021

क्र. 597-259-2021-ए-सोलह-5.- कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्य प्रदेश सरकार, एतद द्वारा, इस अधिसूचना प्रकाशन दिनांक से तीन माह के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत सभी कारखानों को धारा 65 की उपधारा (3) की कंडिका (क) के अंतर्गत वयस्क कर्मकारों के साप्ताहिक घंटे, दैनिक घंटे, विश्राम अंतराल संबंधी प्रावधानों में निम्न शर्तों के साथ छूट दिया जाना विनिर्दिष्ट करती है:-

- (1) किसी भी वयस्क कर्मकार से किसी भी दिवस में 12 घंटे से अधिक तथा सप्ताह में 72 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जायेगा।
- (2) किसी कारखाने में वयस्क कर्मकारों के प्रतिदिन के काम करने को कालावधियां इस प्रकार की नियत की जाएंगी कि कोई कालावधि छः घंटे से अधिक की नहीं होगी और कोई कर्मकार कम से कम आधे घंटे का विश्राम अंतराल ले चुकने के पूर्व छः घंटों से अधिक काम नहीं करेगा।
- (3) प्रत्येक कर्मकार को अतिकाल कार्य हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 59 के प्रावधानानुसार अतिकाल अवधि का नियमानुसार भुगतान किया जावेगा,
- (4) ऐसा अतिकाल काम किसी कर्मकार के लिए अनिवार्य या बाध्यकर नहीं होगा।

No. 597-259-XVI-A-16.- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Factories Act, 1948 the Government of Madhya Pradesh hereby directs that all the factories registered under the Factories Act, 1948 shall be exempted from various provisions relating to weekly hours, daily hours, Intervals for rest etc. of adult workers under clause (a) of sub-section (3) of section 65 with the following conditions for 3 months from the date of publication of this notification in Madhya Pradesh Gazette :-

- (1) No adult worker shall be allowed or required to work in a factory for more than Twelve hours in any day and Seventy Two hours in any week.
- (2) The periods of work of adult workers in a factory each day shall be so fixed that no period exceed six hours and that no worker shall work for more than six hours before he has had an interval for rest of at least half an hour.
- (3) Over time Wages shall be paid as provided under section 59 of the Factories Act, 1948.
- (4) Such overtime work shall not be made compulsory or obligatory for any worker.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सचिन सिन्हा, प्रमुख सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 993-रीडर-भू-अर्जन-2021-कलेक्टर रा.प्र.क्र. 0001-अ-82-20-21.-

बड़वानी दिनांक 9 फरवरी, 2021

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई, अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है | अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है की निजी भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला बड़वानी
- (ख) तहसील - पानसेमल
- (ग) ग्राम - राजपुरा
- (घ) क्षेत्रफल - 7.328 हेक्टेयर

स.क्र.	खसरा नंबर	आजित रकबा (ह.म.)
1	46/2/1	1.174
2	46/1	0.382
3	46/2/2	0.080
4	46/2/3	0.080
5	12/4/2 12/5	1.032
6	12/6 13/1	1.013
7	10/4 12/2	0.888
8	10/3 11/2/2	0.777
9	10/2 11/2/1	0.494
10	9/4 10/1	1.408
	योग	7.328

2. सार्वजनिक प्रयोजन :- राजपुरा तालाब योजना के डुब क्षेत्र/वेस्ट वियर ग्राम राजपुरा के निर्माण एवं उससे सम्बंधित अन्य कार्य हेतु।
3. भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।
4. इस प्रारंभिक उदघोषणा में वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के सम्बन्ध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी, के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
5. समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 992-2021-कलेक्टर प्र.क्र. 0001-A-82-20-21.-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में गोमई नदी परियोजना के हार्टिंग झोन एवं नहर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हरन्या, मालकातार, दौदवाड़ा एवं चिखल्दा तहसील पानसेमल जिला बड़वानी की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - गोमई नदी परियोजना		तहसील - पानसेमल, जिला - बड़वानी		
क्र	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमिका कुल रकबा		
		सिंचित	असिंचित	कुल
	गोमई नदी परियोजना के हार्टिंग झोन, वेस्ट वियर एवं नहर क्षेत्र में प्रभावित होने से	0.413	0.708	1.121
	योग	0.413	0.708	1.121

अनुसूची (2)

गोमई नदी परियोजना के हार्टिंग झोन एवं नहर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हरन्या, मालकातार, दौदवाड़ा एवं चिखल्दा तहसील पानसेमल जिला बड़वानी की प्रभावित भूमि का विवरण

क्र	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नंबर	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे.)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	मदन सुदाम पिता देवराम, मेका पिता बम्बा, सेवंतीबाई बेवा बम्बा, राकशा पिता डब्बा, सायराबाई बेवा डब्बा, भट्टसिंह विजय किसन विक्रम पिता टंटिया थावलीबाई बेवा टंटिया मुकेश युवराज पिता जयसिंह, खेतलीबाई बेवा जयसिंह, मच्छिंदर सुनिल पिता बाजीराव राडिया पिता जालमा रायणीबाई सीताबाई पिता जालमा बिरदान राधेश्याम पिता काल्या गुलाब जुलाब ईवान पिता फैदरिया भूमि स्वामी ठानसिंग बादशाह दारसिंग प्रतापसिंग कृष्णा दिलिप अशोक पिता हैदर राजकुमार अनिल सुनिल पिता बाजीराव नारगीबाई बेवा बाजीराव भूमि स्वामी	24/2 शा.न.25/3 29	-	0.748	0.748	-	0.708	0.708
2	चन्दुबाई बेवा भीका वनवासी अनस्या वडया उषाबाई पिता भीखा पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी	9/4 शा.न.9/6	1.91 0	-	1.910	0.118	-	0.118

3	रामलाल दला पिता लिमडिया पता नि.ग्रा.चिचल्या भूमि स्वामी	92/1ग	3.035	-	3.035	0.186	-	0.186
4	राजेंद्र कुमार,अशोक कुमार पिता शंकर पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी दोंदवाड़ा	139/6	0.708	-	0.708	0.055	-	0.055
5	लालसिंग,रायसिंग पिता रब्बू पिंजारीबाई बेवा रब्बू राजू प्रकाश पिता फुला अ.पा.क. माँ बनीबाई व बनीबाई बेवा फुला जाती पावरया पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी	76/2	1.011	-	1.011	0.054	-	0.054
	कुल योग		6.664	0.748	7.412	0.413	0.708	1.121

नोट :- भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पानसेमल व कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप-संभाग पानसेमल के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 1-अ-82-20-21-4303

बैतूल, दिनांक 7 अप्रैल 2021

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषको की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (MOPRO)	घोड़ाडोंगरी	लोनिया रैयत	0.120 हे०	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल	सारणी से लोनिया मार्ग के पुल हेतु ।

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	जसोदा जौजे किशोरीलाल जाति कोरकु सा० देह भूमि स्वामी	50	3.116	0.120
	योग	1	3.116	0.120

1- चूंकि सारणी से लोनिया मार्ग के पुल हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 53-अ-82-19-20-4305

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	मासोद	0.027	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल	मुलताई से आठनेर मार्ग में अम्बोरा नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु ।

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	सरला पिता बाबूलाल सा० देह भूमि स्वामी	101/3	1.534	0.027
	योग	1	1.534	0.027

1- चूंकि, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 12-अ-82-20-21-4308

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषको की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	भैसदेही	कोयलारी	0.872	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल	कोयलारी लघु जलाशय हेतु

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	दशरथ, राजू, संजू व० नारायण, संगीता, ममता पिता नारायण जाति कुन्बी निवसी विजयग्राम	175/1	7.859	0.872
	योग	1	7.859	0.872

1- चूंकि, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 13-अ-82-20-21-4309

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषको की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	भैसदेही	देवलवाड़ा	18,899	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल	पूर्णा लघु जलाशय हेतु

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	लक्ष्मण, सदानंद, विजय व. पुनू कुन्बी ग्राम घोघामा	83/1	0.825	0.825
2	सदानंद व. पुनू कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	93/1	5.312	3.450
3	लक्ष्मण व. पुनू कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	93/2	5.312	5.312
		93/3	5.312	5.312
4	जयवन्ती बे. पुनू. विजय लक्ष्मण, सदानंद व. पुनू कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	94	6.070	1.076
5	भागा बे. आत्माराम परसराम, गुलाबराव, पंजाबराव, आशा, काशी, देवी, ईमला पिता आत्माराम सा. देह भूमिस्वामी	11	2.286	1.052

6	श्रीराम व. काशीराम भागरता पिता काशीराम कुन्बी नि. घोघामा सा. देह भूमिस्वामी	10/1	1.019	0.609
7	रामदयाल व. भैयालाल, गेदाबाई बे. भैयालाल सा० पोहर भूमिस्वामी	2/3	1.774	0.050
8	गुनी बेवा नामदेव, देवराव, गोविन्दराव, जया, राधिका, पूरभा पिता नामदेव कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	54/5	0.030	0.030
	देवी मैया मंदिर सेवा समिति घोघामा	54/5	0	एक मंदिर
9	लता बेवा सुदामा कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी	75/4	0.628	0.523
		75/7	0.498	0.267
10	साधुराम व० किसना जाति कुन्बी पता बैतूल सा.देह भूमिस्वामी	75/11	0.203	0.203
11	दिन्ध्या व० किसना जाति कुन्बी पता सा.देह भूमि स्वामी	99/8	0.227	0.190
योग		13	29.496	18.899

1- चूंकि ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 52-अ-82-19-20-4311

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	साईखेड़ा	0.061 हे०	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल	साईखेड़ा-ससुन्द्रा-बिसनूर मार्ग के कि० मी० 1/8 पुल निर्माण हेतु ।

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	निखिल पिता योगेन्द्र कुमार, सविता जौजे योगेन्द्र कुमार जाति कुन्बी भूमि स्वामी	353	7.964	0.061
	योग	1	7.964	0.061

1- चूंकि साईखेड़ा-ससुन्द्रा बिसनूर मार्ग के पुल हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 8-अ-82-20-21-4314

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	हनोत्या	0.158	बैतूलबाजार से एन० एच० 69 बायपास मार्ग हेतु ।

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र०	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे०	कुलअर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1 ए	उमेश कुमार, हर्षप्रसाद ब्राम्हण निवासी बैतूलबाजार भूमि स्वामी ।	137/1	0.861	0.030
1 बी	लोपा पति रमेश प्रसाद जाति ब्राम्हण	137/17	0.405	0.010
2	रमेश कुमार व० ओमकार प्रसाद ब्राम्हण निवासी बैतूलबाजार भूमि स्वामी ।	137/2	2.000	0.062
3	सविता जौजे अर्जुन वर्मा निवासी बैतूलबाजार भूमि स्वामी ।	137/18	0.861	0.030
4	बृजनारायण, गजानंद वर्मा व० गंगाराम, रमेशकुमार, कमल कुमार, दिलीप कुमार, हरीश कुमार, व० गणेश प्रसाद, ललिता, पुष्पा, हीराबाई, मालती पिता गणेश प्रसाद नीलम बेवा नीलेश कुमार, तन्मय, समर्थ व० नीलेश कुमार निवासी बैतूलबाजार भूमि स्वामी ।	130/1	0.097	0.013
5	रमेशकुमार, कमल कुमार, दिलीप कुमार, हरीश कुमार, व० गणेश प्रसाद, ललिता, पुष्पा, हीराबाई, मालती पिता गणेश प्रसाद नीलम बेवा नीलेश कुमार, तन्मय, समर्थ व० नीलेश कुमार निवासी बैतूलबाजार भूमि स्वामी ।	131/1	0.227	0.013
योग :-		-	4.451	0.158

(2) चूंकि बैतूलबाजार से एन०एच० 69 बायपास मार्ग का निर्माण कार्य हेतु अर्जन की जा रही भूमियों के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 8-अ-82-20-21-4718

बैतूल, दिनांक 26 अप्रैल 2021

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (MOPRO)	भैसदेही	टेमुरनी	7.463 हे०	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल	मेंढा मध्यम परियोजना हेतु

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	श्री सम्पन्न पुत्र सम्मत जाति गोंड सा० देह भूमि स्वामी	34/6	1.514	1.514
2	गजानंद पुत्र मूकचंद, दमड़ीबाई पुत्री मूकचंद, फन्दीबाई पुत्री मूकचंद जाति गोंड सा० देह भूमि स्वामी ।	35/2, 36	8.668	4.289
3	छतरू पुत्र सूम्मत जाति गोंड, सा० देह भूमि स्वामी	34/5	1.514	1.514
4	सरपसिंग पुत्र पंचम जाति गोंड सा० देह भूमि स्वामी	34/1	0.148	0.148
	योग	05	11.842	7.463

1- चूंकि मेंढा मध्यम परियोजना हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है। धारा 15 (2) के अधीन तदाशय के सम्बंध में कोई व्यक्ति आपत्ति 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भैसदेही के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. प्र.क्र.-2-अ-82-19-2-कामिद-4720

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान होगा या है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमि स्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वास न और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची- 1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	सार्वजनिकप्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	भैंसदेही	कामिदा	1.232	मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

अनुसूची- 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे०	कुलअर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1.	मंगली जौजे फुन्दाजी, जाति कोरकू, सा.देह भूमिस्वामी	412	0.809	0.200

2	बोतोय बे. सुखराम, भीमराव व. सुखराम, जाति कोरकू, सा.देह भूमिस्वामी	421	2.024	0.303
3	सुखराम व. कूल, जाति कोरकू, सा.देह भूमिस्वामी	422	2.024	0.284
4.	रामू व. बिहारी, जाति कोरकू, सा.देह भूमिस्वामी	423	2.023	0.445
योग :-		-	6.880	1.232

2-चूंकि मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उप धारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

3-भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है।

4-समुचित सरकार की वेबसाई www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

क्र. प्र.क्र.-3-अ-82-19-20-पलासपानी-4722

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान होगा या है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमि स्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची- 1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	सार्वजनिकप्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	आठनेर	पलासपानी	2.722	मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

अनुसूची- 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र 0	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे०	कुल अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	गुलबू पुत्र जीवता, टुटु पुत्र जीवता, जाति गोंड, सा.देह भूमिस्वामी	71/2 77	2.154 2.334	1.020 0.403
2	महादेव पुत्र सोमदास, कुवंरलाल पुत्र सोनसा, झमकी पुत्री लक्खू, झिमला पुत्री लक्खू, साहेबलाल पुत्र सोनसा, बाबूलाल पुत्र सोनसा, सुकिया पुत्री सोनसा, मंशु पुत्र सोमदास, फूलवंती पुत्री लक्खू, ओझे पुत्री सोमदास, मिडमू पुत्री सोमदास, भीमराव पुत्र लक्खू, सन्तु पुत्र बिलसु, पिया पुत्री बिलसु, सुई पुत्री बिलसु, सुरवा पुत्री बिलसु, जाति गोंड सा.देह भूमि-स्वामी	72/2	2.153	1.020
3	गोविंद पुत्र शंकर, निशा, मनीषा पुत्री शंकर, मनोला, बहोली बेवा शंकर, जाति गोंड, सा.देह भूमिस्वामी	54	0.279	0.279
योग :-		-	6.920	2.722

2- चूंकि मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उप धारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है।

4- समुचित सरकार की वेबसाई www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

क्र. प्र.क्र.-5-अ-82-19-20-भौरा-4724-0005

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	शाहपुर	ढोढरामोहार उर्फ भौरा	1.168	उपमुख्य अभियंता मध्य रेलवे अजनी नागपुर एवं संबधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	ईटारसी-नागपुर तीसरी रेलवे लाईन हेतु

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे०	अर्जित रकबा हे०
1	करतारसिंग व. बलवंतसिंह जाति पंजाबी	45/10	0.532	0.094
2	भिकारी व. बाबुलाल सागरबाई पिता बाबुलाल जाति अ०जा० सा० देह	45/2	0.101	0.065
3	सुन्दरबाई बे. बुद्ध रामभरोस पिता बुद्ध कैलाश व० बुद्ध सेवंती पत्नी बुद्ध शारदा पुत्री बुद्ध जाति अ०जा० सा० देह	45/6	0.118	0.035

4	सुनिल व० सम्मल अनिल व० सम्मल, राजकुमारी व० सम्मल भारती व० सम्मल, नीकिता व० सम्मल जाति गोंड	45/4	0.113	0.035
5	लक्ष्मीबाई पति दशरथ जाति गोंड	45/8	0.080	0.035
6	धुरप व. भंगी जाति परधान	439	0.101	0.067
7	नन्दाबाई बे. सोमू विष्णुप्रसाद व. सोमू गंगाराम व० सोमू जाति परधान	449	1.343	0.146
8	गजराज सिंग व० शेरसिंग जाति गोंड	280	1.158	0.097
9	तुलसी व० शेरसिंग जाति गोंड	281	0.146	0.046
10	रनिया बे० शंकर, भागवती पुत्री शंकर, रामविलास व० शंकर, कैलाश व० शंकर, बशारे व० शंकर, नेहरू व० शंकर, अनिल व० शंकर जाति गोंड	282	0.267	0.074
11	धुरप व. भंगी जाति परधान	261/1	0.551	0.085
12	नन्दाबाई बे. सोमू विष्णुप्रसाद व. सोमू गंगाराम व० सोमू जाति परधान	259/1	1.874	0.04
13	परसु व० कन्नू गोंड सा० देह भूमि स्वामी	257/2	2.023	0.205
14	मैनाबाई पति मन्नु गोंड सा० देह	254	0.417	0.095
15	मेंदों बे० रामु गोंड सा० देह भूमि स्वामी	257/1	1.421	0.049
	योग		10.245	1.168

1- चूंकि तीसरी रेलवे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अमनवीर सिंह बैस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.